लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4380
दिनांक 30.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता योजना

4380. श्री रघु राम कृष्ण राजूः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में कोविड-19 महामारी के कारण कारीगरों की आजीविका की स्थिति बहुत खराब हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन कारीगरों के लाभार्थ कोई वित्तीय सहायता योजना लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (घ): महोदय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने कारीगरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) तथा वृहत हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के तहत निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(I) स्वावलंबन समूहों/कलस्टरों के कारीगरों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के द्वारा तीन साल की समयावधि में कारीगरों के सतत विकास के लिए 57 निर्माता कंपनियों का गठन व्यवसाय मॉडल के रूप में किया गया है। इन कंपनियों को आवश्यक इंटरवेन्शन प्रदान किए गए हैं।

(II) जीईएम (GeM) के सहयोग से, हस्तशिल्प कारीगरों को जीईएम पोर्टल पर ऑनबोर्ड लाया गया है ताकि उन्हें सरकारी विभागों एवं संगठनों को हस्तशिल्प उत्पाद बेचने के लिए प्रत्यक्ष विपणन मंच प्रदान किया जा सके। जीईएम पोर्टल पर 28,403 कारीगरों को ऑनबोर्ड लाया गया है और पंजीकृत कारीगरों द्वारा अभी तक का कुल बिक्री आंकड़ा 90.57 करोड़ रुपए है।

(III) देश भर में आधुनिक सुविधाओं के साथ 8 शिल्प ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं ताकि शिल्प ग्रामों में घरेलू के साथ-साथ विदेशी खरीददारों को आकर्षित करके हस्तशिल्प क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके तथा हस्तशिल्प कारीगरों को आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकें। ये शिल्प ग्राम निर्यातकों तथा कारीगरों को हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने तथा विपणन के लिए मिलकर कार्य करने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

(IV) कोविड महामारी के दौरान हस्तशिल्प कारीगर अपने उत्पाद बेचने के लिए बिना रुकावट के प्रत्यक्ष विपणन मंच तक पहुँच सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए महामारी के दौरान 12 वर्चुअल विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, विभिन्न इंटरवेन्शनों के माध्यम से कारीगरों को सुविधा प्रदान करने के लिए देश भर में 1,330 चौपाल आयोजित किए गए हैं।

(V) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ योजना के अधीन मुद्रा ऋण पर 3 वर्षों की अवधि में अधिकतम 1,00,000 रुपए पर मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त हस्तशिल्प क्षेत्र में जिन पुरस्कार-प्राप्त कारीगरों की आयु 60 वर्ष से अधिक है और जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए से कम है को दरिद्र परिस्थितियों में प्रति माह 5,000 रुपए राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****